निबंधन सं० पी० टी०—40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आश्विन 1927 (श०)

(सं० पटना 562) पटना, बुधवार, 19 अक्तूबर 2005

पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा जारी अधिसूचना
(बिहार सरकार के गजट भाग-IV-C में निविष्ट करने हेतु)

19 अक्तूबर 2005

संख्या 452 (नियम)।2005 सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 की उप-धारा (1) सह-पठित धारा 2(e)(iii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम गठित करते हैं—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) ये नियम पटना उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) नियमावली 2005 कहलायेंगे।

(2) ये सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं।—(1) इन नियमों में जब तक संदर्भ के विरुद्ध अन्यथा अपेक्षित न हो—

(अ) 'अधिनियम' से तात्पर्य है सूचना का अधिकार, 2005 (संख्या 22 वर्ष 2005);

(आ) "अपीलीय प्राधिकार" से तात्पर्य है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा यथा नामित;

(इ) "अधिकृत व्यक्ति" से तात्पर्य है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित जन सूचना अधिकारीगण एवं सहायक जन सूचना अधिकारी;

(ई) "प्रपत्र" से तात्पर्य है इन नियमावलियों से जुड़ा हुआ प्रपत्र;

(उ) "भाग" से तात्पर्य है अधिनियम का एक भाग;

(क) ऐसे शब्द एवं अभिव्यक्तियां जो इन नियमावलियों में प्रयुक्त हुए हैं लेकिन परिभाषित नहीं किये गये हैं, उनका तात्पर्य वही होगा जो अधिनियम में दिये गये हैं।

3. सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन।—(अ) सूचना प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के किसी भी कार्य दिवस में 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न के बीच आवेदन प्रपत्र ए पर अधिकृत व्यक्ति के समक्ष दाखिल करना होगा तथा नियमावली के परिशिष्ट ए के अनुसार अधिकृत व्यक्ति के समक्ष आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

(आ) अधिकृत व्यक्ति प्रपत्र बी में यथा विहित प्रावधान के अनुसार आवेदक को विधिवत अभिस्वीकृति देगा;

बशर्तें कि यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र पर आवेदन करता है तो उसे [illegible] होगा कि अपेक्षित शुल्क इलेक्ट्रानिक प्रपत्र के माध्यम से भेजे जाने की तिथि से 7 दिनों के [illegible] व्यक्ति के पास नगद जमा करना होगा ऐसा नहीं करने पर आवेदन को रद्द समझा जायेगा।

4. प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन का निष्पादन।—(1) यदि आवेदित सूचना अधिकृत व्यक्ति के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं हो तो वह अधिमानतः यथासंभव 15 दिनों के अन्दर प्रपत्र सी में आवेदक को [illegible] वापस करने का आदेश देगा तथा किसी भी हालत में आवेदन प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के [illegible] कहीं भी संभव हो वह आवेदक को संबंधित प्राधिकार, जिसके पास आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये, की [illegible] ऐसे मामले में जमा किया हुआ आवेदन, शुल्क वापस नहीं होगा।

(2) यदि आवेदित सूचना अधिकृत व्यक्ति के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत तथा अधिनियम के भाग-8 एवं 9 में सूचित।उल्लिखित एक अथवा एक से अधिक श्रेणियों में भी आती हो तो वह संतुष्ट होने के पश्चात् [illegible] खारिज करने संबंधी आदेश अधिमानतः 15 दिनों के अन्दर तथा किसी भी हालत में आवेदन प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रपत्र डी में निर्गत करेगा।

(3) यदि आवेदित जानकारी अधिकृत व्यक्ति के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हो लेकिन अधिनियम के भाग-8 एवं 9 में उल्लिखित एक या उससे अधिक श्रेणियों में नहीं आती हो तो अधिकृत व्यक्ति संतुष्ट होने के पश्चात् अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली सूचना को प्रपत्र ई पर आवेदक को देगा। यदि मांगी गई सूचना अधिकृत व्यक्ति के क्षेत्राधिकार से अंशतः बाहर हो अथवा अधिनियम की भाग-8 एवं 9 में सूचित [illegible] के अन्तर्गत अंशतः आती हो तो अधिकृत व्यक्ति केवल ऐसी सूचना की आपूर्ति करेगा जो अधिनियम के [illegible] अनुमान्य हो तथा उसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हो एवं शेष भाग को कारण का उल्लेख करते हुए [illegible] कर देगा।

(4) सूचना यथाशीघ्र अधिमानतः 15 दिनों के अन्दर दी जायेगी तथा किसी भी हालत में आवेदन प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर दी जायगी। एवं।अथवा।

यद्यपि प्राधिकार के समक्ष आवेदन करने की तिथि को कुल शुल्क अथवा कम शुल्क अथवा शेष शुल्क की राशि जमा करने की तिथि समझी जायगी।

प्रपत्र की प्रस्तुत करने के बाद सूचना की प्राप्ति के संकेत के रूप में आवेदक से एक समुचित अभिस्वीकृति प्राप्त की जायगी।

5. अपील।—(1) कोई व्यक्ति—

(अ) जो प्रपत्र 'ए' प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अधिकृत व्यक्ति से प्रपत्र सी अथवा प्रपत्र डी में जवाब पाने में असफल रहता है; अथवा

(आ) विहित अवधि के अन्दर प्राप्त जवाब से असंतुष्ट है तो वह प्रपत्र एफ में प्राधिकार के समक्ष अपील करेगा एवं परिशिष्ट ए के नियमों के अनुसार अपीलीय प्राधिकार के पास अपील के लिये शुल्क जमा करेगा।

(2) अपेक्षित शुल्क के साथ अपील प्राप्त करने के पश्चात् अपीलीय प्राधिकार उस अपील की प्राप्ति की अभिस्वीकृत करेगा तथा अपीलकर्त्ता को सुनने का अवसर देने के पश्चात् अपीलकर्त्ता को सुनने की तिथि से 30 दिन के अन्दर उसका निबटारा करने का प्रयास करेगा तथा संबद्ध अधिकृत व्यक्ति को निर्णय की एक प्रति भेजेगा।

(3) यदि अपील स्वीकृत की जाती है तो अपीलीय प्राधिकार द्वारा यथा आदेशित उक्त अवधि के अन्दर अधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदक को सूचना दी जायगी। यह अवधि आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों ज्यादा नहीं होगा।

6. जुर्माना।—(1) सूचना देने के लिये बाध्य कोई भी व्यक्ति अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट समय के अन्दर मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं करता है अथवा खारिज करने संबंधी आदेश की अधिसूचना के माध्यम से सूचित नहीं करता है तो वह नियम 3 के अन्तर्गत दाखिल प्रति आवेदन पर 30 दिनों के बाद के विलम्ब के लिये 50 रु० प्रति दिन के हिसाब से अधिकतम 500 रु० जुर्माना भरने को जिम्मेवार होगा जैसा कि अपीलीय प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(2) जहां आपूर्ति की गई सूचना की कोई भी सामग्री गलत पाई जाती है तथा जिसकी आपूर्ति करने वाला जिम्मेवार व्यक्ति यह जानता है तथा उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उक्त सूचना गलत

है तथा वह उसे सही नहीं मानता है तो सूचना आपूर्त्तिकर्त्ता अपीलीय प्राधिकार द्वारा आरोपित 1000 रु० (एक हजार रुपये) जुर्माना करने का उत्तरदायी होगा।

7. जन प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से सूचना का प्रकाशन।—(1) अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अनुसार जन प्राधिकारी स्वप्रेरणा से पुस्तिका एवं/अथवा फोल्डर्स और अथवा इश्तहार के माध्यम से सूचना प्रकाशित करेंगे तथा प्रत्येक वर्ष इन प्रकाशनों को अद्यतन करेंगे जैसा कि अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा 1 के तहत अपेक्षित है।

(2) इस प्रकार की सूचना अधिकृत व्यक्ति एवं अपीलीय प्राधिकार के कार्यालय में किसी स्पष्ट जगह पर सूचना काउन्टर, इन्टरनेट के माध्यम से तथा सूचना पट पर भी आम जनता को उपलब्ध कराया जायगा।

8. आवेदन शुल्क।—(1) अधिकृत व्यक्ति निम्नलिखित दरों से शुल्क वसूल करेगा, उदाहरणस्वरूप—

(अ) आवेदन शुल्क—

(i)	निविदा कागजात/नीलामी/निवेदित दर/व्यवसायिक ठेका से संबंधित सूचना	500 रुपये प्रति आवेदन
(ii)	उपरोक्त 1 के अलावे अन्य सूचना	50 रुपये प्रति आवेदन

(आ) अन्य शुल्क—

क्रम सं०	सूचना का विवरण	मूल्य/शुल्क रुपये में
1	जहां सूचना एक मूल्यांकित प्रकाशन मूल्य के रूप में उपलब्ध है ..	यथा निर्धारित मूल्य
2	मूल्यांकित प्रकाशन के अलावे अन्य के लिये रुपये	5 रुपये प्रति पृष्ठ

(2) अपीलीय प्राधिकार प्रति अपील 50 रुपये का शुल्क वसूल करेगा।

9. अभिलेखों का संधारण।—(1) अधिकृत व्यक्ति सूचना आपूर्ति के लिये प्राप्त सभी आवेदनों एवं वसूल किये गये शुल्क संबंधी अभिलेख संधारित करेगा।

(2) अपीलीय प्राधिकार अपने समक्ष दाखिल सभी अपीलों एवं वसूले गये शुल्कों से संबंधित अभिलेखों को संधारित करेगा।

प्रपत्र ए
सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन
(देखें नियम-3)

डी० संख्या
(कार्यालय उपयोग हेतु)

सेवा में
अधिकृत व्यक्ति

1. आवेदक का नाम —
2. पता—
3. सूचना का विवरण
   (क) संबंधित विभाग
   (ख) अपेक्षित सूचना का ब्योरा
      (i) अपेक्षित सूचना का विवरण
      (ii) अवधि जिसके लिये सूचना मांगी गयी
      (iii) अन्य विवरण

4. मैं बयान करता हूं कि अपेक्षित सूचना अधिनियम के खंड 8 में निहित प्रतिबन्ध के अन्तर्गत नहीं आता है तथ मेरी पूर्ण जानकारी में यह आपके कार्यालय से संबंधित है ।

5. ....रु० शुल्क अधिकृत व्यक्ति के कार्यालय में संख्या......दिनांक ......के द्वारा जमा किया गया है ।

स्थान— आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक; ईमेल पता; अगर कोई हो
दूरभाष संख्या (कार्यालय)
(निवास)

नोट—(1) प्रपत्र 'ए' को भरने में अधिकृत व्यक्ति द्वारा उचित सहायता दी जा सकती है ।
(2) कृपया सुनिश्चित करें कि पत्र ए सभी तरह से पूर्ण है और अपेक्षित सूचना का विवरण देने में कोई अस्पष्टता नहीं है ।

प्रपत्र बी

प्रपत्र 'ए' में आवेदन की पावती

आई डी संख्या

दिनांक—

1. सूचना के अधिकार अधिनियम के खंड..... के अन्तर्गत एक आवेदन श्री/मेसर्स.......निवासी...... से प्रपत्र 'ए' में प्राप्त किया।

2. सूचना सामान्यतया पन्द्रह दिनों में प्रस्तुत किया जाता है तथा कुछ मामलों में आवेदन प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के अन्दर भी और यदि यह पाया जाता है कि मांगी गयी सूचना नहीं दी जा सकती है तो ऐसी स्थिति में कारण बताते हुए अस्वीकार पत्र निर्गत किया जायगा।

3. आवेदक को अधोहस्ताक्षरी से दिनांक..... को 11.00 पूर्वाह्न से 1.00 अपराह्न के बीच मिलने की सलाह दी जाती है।

4. यदि आवेदक नियत तिथि को उपस्थित होने में असफल रहता है तो प्राधिकृत व्यक्ति विलम्ब अगर कोई होता है के लिये जिम्मेवार नहीं माना जायगा।

5. ताकि शुल्क अगर कोई हो तो प्राधिकृत व्यक्ति के पास सूचना प्राप्त करने के पहले आवेदक को यह जमा करना होगा।

6. आवेदक अपने आवेदन की स्थिति सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर विभाग के वेबसाईट की सहायता ले सकते हैं।

दिनांक :—

प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर
एवं मोहर
ई-मेल, वेबसाईट, दूरभाष संख्या—

प्रपत्र सी

अधिकृत व्यक्ति के क्षेत्राधिकार से बाहर

नियम 4(1)

प्रपत्र सं० एफ तारीख

सेवा में,

महोदय/महोदया

कृपया अपने आवेदन आई०डी सं०..... दिनांक...... जो कि [illegible] विषयक सूचना देने से संबंधित है, का सन्दर्भ करें ।

2 जिस सूचना के लिये अनुरोध किया गया है वह इस अधिकृत व्यक्ति के क्षेत्राधिकार में नहीं पड़ता है, अतएव आपका आवेदन लौटाया जाता है ।

3 आपसे आग्रह है कि संबंधित प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष आवेदन करें ।

विश्वासभाजन,

अधिकृत व्यक्ति का ई-मेल पता—

बेवसाईट—दूरभाष संख्या ।

प्रपत्र डी
खारीज करने संबंधी आदेश
[नियम-4(2)(1)]

प्रपत्र संख्या– एफ

दिनांक—

सेवा में;

महोदय/महोदया

कृपया अपने आवेदन, आई० डी० संख्या........दिनांक......जो कि ......विषयक सूचना देने से संबंधित है; का सन्दर्भ करें ।

2. निम्न कारणों से मांगी गयी सूचना नहीं दी जा सकती ।

(i)

(ii)

3. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के मुताबिक इस आदेश के निर्गत होने के तीस दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दाखिल कर सकते हैं ।

विश्वासभाजन;
अधिकृत व्यक्ति का ई-मेल पता
वेबसाईट–दूरभाष संख्या

प्रपत्र ई

आवेदक को सूचना देने का प्रपत्र

नियम-(3)

प्रपत्र
संख्या-एफ   दिनांक.............

सेवा में
महोदय/महोदया,

कृपया अपने आवेदन, आई०डी० संख्या .... दिनांक .... जो कि .... विषयक सूचना देने से सम्बन्धित है, का सन्दर्भ करें।

2. मांगी गयी सूचना सन्दर्भ के लिए अनुलग्नक है।

निम्न आंशिक सूचना संलग्न की जाती है:—

(*i*)

(*ii*)

निम्नलिखित कारणों से अन्य पहलुओं के बारे में शेष सूचना नहीं दी जा सकती :—

(*i*)

(*ii*)

(*iii*)

3. जिस सूचना के लिए अनुरोध किया गया है वह इस प्राधिकृत व्यक्ति के क्षेत्राधिकार में नहीं पड़ता है।

4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के मुताबिक इस आदेश के निर्गत होने के तीस दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दाखिल कर सकते हैं।

विश्वासभाजन,
प्राधिकृत व्यक्ति का
इमेल पता,
वेब साईट।

दूरभाष संख्या……

प्रपत्र एक

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अन्तर्गत अपील

[नियम-5(1)]

आई०डी०सं०
(केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु)

सेवा में

अपीलीय प्राधिकार

पता:—

1. आवेदक का नाम:—

2. पता:—

3. अधिकृत व्यक्ति का विवरण:—

(क) नाम:—

(ख) पता:—

4. प्रपत्र 'ए' में आवेदन-पत्र जमा करने की तारीख:—

5. प्रपत्र 'ए' जमा करने के तीस दिन के बाद की तिथि:—

6. अपील करने का कारण:—

(क) प्रपत्र 'ए' 5(1) 'ए' जमा करने के तीस दिनों के अन्दर प्रपत्र 'बी' या 'सी' में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) प्रपत्र 5(1) 'बी' में विहित अवधि के अन्दर प्राप्त जवाब से असंतुष्ट प्राप्त जवाब की प्रतिलिपि संलग्न करें।

(ग) अपील दाखिल करने का आधार

7 अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि [देखें नियम 5(3)]

8. सूचना का विवरण:—

(i) सूचना, जिसके लिए अनुरोध किया गया—

(ii) विषय

(iii) अवधि

9. अपील दाखिल करने के लिए 50 रुपये का शुल्क प्राधिकार की रसीद सं०………दिनांक……… जमा कर दी गयी है।

स्थान—
तिथि—
आई०डी०सं०—
दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर;

ई मेल पता, यदि कोई हो—
दूरभाष संख्या
कार्यालय
आवास
प्राप्ति स्वीकृति

श्री/सर्वश्री—————————————————

————————————————निवासी——————————————

से, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अन्तर्गत अपील हेतु आवेदन प्राप्त किया।

प्राप्त करने वाले लिपिक का हस्ताक्षर;
अपीलीय प्राधिकार
दूरभाष संख्या—
ई मेल पता—वेबसाइट

उच्च न्यायालय
पटना—800001
दिनांक-अक्तूबर—2005

महानिबंधक
(आधारभूत संरचना तथा सू०प्रा०)

संख्या—/05

प्रतिलिपि सादर अग्रसारित :—

1- सचिव, बिहार सरकार,
विधि न्याय विभाग पुराना सचिवालय, पटना।
2- महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, पटना।
3- सरकारी अधिवक्ता,उच्च न्यायालय, पटना।
4- अध्यक्ष, बार एसोसिएसन।
5- अध्यक्ष,एडभोकेट एसोसिएसन।
6- अध्यक्ष, लॉयर्स एसोसिएसन।
7- सचिव, बिहार राज्य बार काउन्सिल, पटना।
8- सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार।
9- प्रधान न्यायाधीश, फैमली कोर्ट।
10- लेबर कोर्ट।

उच्च न्यायालय,
पटना—800001
दिनांक-अक्तूबर—2005

महानिबंधक,
आधारभूत संरचना एवं सू०प्रा०

संख्या- /2005

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 5(1) तथा (2) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,इसकी धारा 19 के अनुसरण,माननीय मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित पदाधिकारियों को जन सूचना पदाधिकारी, सहायक जन सूचना पदाधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकार नामित करते हैं।

लोक प्राधिकार	अपीलीय प्राधिकार	जन सूचना पदाधिकारी	सहायक जन सूचना पदाधिकारी
उच्च न्यायालय, पटना	निबंधक (प्रशासन)	संयुक्त निबंधक(न्या0)	सहायक निबंधक (न्या0)
जिला न्यायालय सिविल	जिला न्यायाधीश	अपर न्यायाधीश-I	प्रभारी न्यायाधीश
जिला न्यायालय आपराधिक	सत्र न्यायाधीश	मु0 न्या0दण्डा0	प्रभारी न्यायाधीश
फैमली कोर्ट	प्रधान न्यायाधीश, फैमली कोर्ट	निबंधक,व्यवहार न्यायालय	पेशकार
किशोर अपराध न्यायालय	जिला न्यायाधीश अपीलीय न्यायालय	प्रधान सदस्य किशोर अपराध न्यायालय	पेशकार
लेबर कोर्ट	अध्यक्ष,औद्योगिक न्यायालय	वरिष्ठ न्यायाधीश, लेबर कोर्ट/ न्यायाधीश,लेबरकोर्ट	निबंधक/ लिपिक
औद्योगिक न्यायालय	अध्यक्ष,औद्योगिक न्यायालय	सदस्य,औद्योगिक न्यायालय	निबंधक, व्यवहार न्यायालय

उच्च न्यायालय,
पटना-800001
तिथि- अक्टूबर ----2005

(मधुसूदन सिंह)
महानिबंधक

संख्या—/05

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—

1- सचिव, बिहार सरकार, विधि न्याय विभाग, पुराना सचिवालय, पटना ।
2- निबंधक प्रशासन। संयुक्त निबंधक न्या० । उप निबंधक न्या०।सहायक निबंधक न्या०, पटना उच्च न्यायालय पटना ।
3- प्रधान न्यायाधीश, फैमली कोर्ट ।
4- सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार ।
5- अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय ।
6- लेबर कोर्ट ।

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,

उच्च न्यायालय,

पटना—800001
तिथि—अक्तूबर 2005

महानिबंधक ।

NOTIFICATION BY THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(For insertion in the Bihar Government Gazette, Part-IV-C)

No. [illegible]/2005

In exercise of the power conferred by Sub-section (1) of section 28 read with Section 2(e)(i) of the Right to Information Act, 2005, The Chief Justice of the Patna High Court hereby makes the following Rules :—

1. *Short title and commencement.*—(1) These Rules shall be called the Patna High Court (Right to Information) Rules, 2005.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. *Definition.*—(1) In these rules unless the context otherwise requires ;—

(a) 'Act' means the Right to Information Act, 2005 (No 22 of 2005);

(b) 'appellate authority' means designated as such by the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna;

(c) 'authorised person' means Public Information Officers and Assistant Public Information Officer designated as such by the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna.

(d) 'form' means the Form appended to these rules;

(e) 'section' means a Section of the Act;

(f) 'Words and expressions' used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. *Application for seeking information.*—(a) Any person seeking information under the Act shall file an application in between 11 A.M. to 1 PM in a Court working day to the authorised person in Form A and deposit application feeas per Appendix A of the Rules with the authorised person;

(b) The authorised person shall daily acknowledge the applicant as provided in Form B;

Provided that a person who make a request through electronic form shall ensure that the requisite fee is deposited in cash with the authorised person within 7 days of his sending the request through electronic form, failing which his application shall be treated as dismissed.

4. *Disposal of application by the authorised person.*—(1) If the requested information does not fall within the jurisdiction of the authorised person, it shall order return of the application to the applicant in Form C as soon as practicable, preferabley within 15 days and in any case not later than 30 days from the date of receipt of the application, advising the applicant, wherever possible, about the authority concern to whom the application should be made. The application fee deposit in such cases shall not be refunded.

(2) If the requested information falls within the authorised person's jurisdiction and also in one more of the categories listed/mentioned in the Sections 8 and 9 of the Act, the authorised person, on being satisfied, will issue the rejection order in Form D as soon as practicfible, preferably within 15 days and in any case not later than 30 days from the date of receipt of the application.

(3) If the requested information falls within the authorised person's jurisdication, but not in one or more of the categores listed in Sections 8 and 9 of the Act, the authorised person, on being so satisfied, shall supply the information to the applicant in Form E, falling within its jurisdication. In case the information sought is partly outside the jurisdiction of the authorised person or partly falls in the categories listed in Sections 8 and 9 of the Act, the authorised person shall supply only such information as is permissible under the Act and is within it own jurisdication and reject the remaining part giving reasons therefor.

(4) The information shall be [illegible] preferably within 15 days and in any case not [illegible] days from the date of receipt of the application and/or

However, the date of [illegible] shall be deemed to be deposit of the entire fee or the balance [illegible] to the authorised person

A proper acknowledgement [illegible] from the applicant in taken of receipt of information [illegible] Form [illegible]

5. *Appeal.*—(1) Any person—

(*a*) who fails to get a response in Form C or Form D Form the authorised person within 30 days of submission of Form A, or

(*b*) is aggrieved by the response received within the presecribed period, appeal in Form F to the Appellate Authority and deposit fee for appeal as per Appendix A of the Rules with the Appellate Authotity.

(2) On receipt of the appeal along with required fee the Appellate Authority shall acknowledge the receipt of the appeal and after giving the applellant an opportunity of being heard, shall endeavour to dispose it of within 30 days from the date on which its presented and send a copy of the decision to the authorised person concerned.

(3) In case the appeal is allowed, the information shall be supplied to the applicant by the authorised person within such period as ordered by the Appellate Authority. This period shall not exceed 30 days from the date of the receipt of the order,

6. *Penalties.*—(1) Whoever being bond to supplying information faulsi to furnish the information asked for under the Act within the time speciffed or falls to communicate the rejection order by notification shall be liable to pay penallties upto 50 Rupees per day for the delayed period beyond 30 days tsubjedt to a maximum of 500 Rupees per application filed under rule 3 as may be determined by the applate authority.

(2) Where the information supplied is found to be false in any material particular and which the person is bound to supply it knows and has reason to believe it to be false or does not believe it to be true, the person supplying the information shall be liable to pay a penalty of one thousand rupees, to be imposed by the appellate authority.

7. *Suo motu publicartion of information by public authorities.*—(1) The public authority shall sou motu publish information as per sub-section (1) of Section 4 of the Act by publishing booklets and/or forders and/or pamplets and up date these publications every year as required by sub-section (1) of Section 4 of the Act.

(2) Such Information shall also be made available to the public through information counters, medium of internet and display on notice board at conspicuous place in the office of the authorised person and the applellate authority.

8. *Charging of application Fee.*—(1) The authorised person shall charge the fee at the following rates, nemely :—

(A) Application Fee—

(*i*) Information relating to tender documents/ bids/quotation/business contract: 500 Rupees per application.

(*ii*) Information other than (*i*) above .. 50 Rupees per application.

(B) Other Fees—

Sl. no.	Description of information	Pried/Fee in Rupees.
1	Where the information is available in the form of a priced publication.	Price so fixed.
2	For other than priced publication rupees.	5 Rs. ber prge.

(2) The appellate authority shall charge a fee of 50 Rupees per appeal.

9. *Maintenance of Records.*—(1) The authorised person shall maintain records of all applications received for supply of information and fee charged.

(2) The appellate authority shall maintain records of all appeals filed before and fee charged.

FORM A.

Form of application for seeking information
(*See Rule 3*)

D. No.....................
(for oficial use)

To
The authorised person,
....

1. Name of the applicant

2. Address

3. Particulars of information—
(*a*) Concerned department—
(*b*) Particulars of information required
(*i*) Details of information required
(*ii*) Period for which information asked for
(*iii*) Other details

4. I state that the information sought does not fall within the restrictions contained in Section 8 of the Act and to the best of my knowledge it partains to your office.

5. A fee of Rs......................has been deposited in the office of the authorised person vide No............., dated.....................

Place Signature of Applicant
Date, E-mail address, if any,
Telephone No. (Office)-
(Residence):

NOTE.—(1) Reasonable assistance can be provided by authorised person in failling of the FORM-A.
(2) Please ensure that the FORM-A is complete in all respect and there is not ambiguity in providing the details of informantion required.

FORM B

Acknowledgement of Application in Form A

I.D. No.

Dated

1. Received an application in Form A from Shri/Ms .... resident of under section .... of the Right to Information Act, 2005.

2. The information is proposed to be given normally within fifteen days and in case within thirty days from the date of receipt of application and in case it is found that the information asked for cannot be supplied the rejection letter shall be issued stating reason thereof.

3. The applicant is advised to contact the undersigned on.................... between 11 A.M. to 1 P.M.

4. In case the applicant fails to turn up on the scheduled date(s), the authorised person shall not be responsible for delay, if any.

5. The applicant shall have to deposit the balance fee, if any, with the authorised person before collection of information.

6. The applicant may also consult web-site of the department from time to time to ascertain the status of his application.

Date.

Signature and Stamp of the
Authorised Person.
E-mail
Web-site
Telephone No.

FORM C

Outside the Jurisdiction of the authorised person

[Rule 4(1)]

Form No. F   Date..............

To,

Sir/Madam,

Please refer to your application I.D. No. ....dated...............addressed to the undersigned regarding supply of information on............................

2. The requested information does not fall within the jurisdiction of this authorised person and, therefore, your application is being returned herewith.

3. You are requested to apply to the concerned authorised person.

Yours faithfully,

Authorised person:
E-mail address
Web-site:
Telephone No.:

FORM D
Rejection Order
[Rule 4(2)(1)]

Form No. F.................. Date..................

To,

Sir/Madam,

Please refer to your application I.D. No..................dated .... addressed to the undersigned regarding supply of information on—

2. The information asked for cannot be supplied due to following reasons :—

(i)

(ii)

3. As per Section 19 of the Right to Information Act, 2005, you may file an appeal to the Appellate Authority within thirty days of the issue of this order.

Yours faithfully,

Authorised person:
E-mail address:
Web-site:
Telephone No.

FORM E

Form of Supply of information to the applicant
[Rule 4(3)]

Form No. F Date

To,

Sir/Madam,

Please refer to your application I.D. No. ....dated.................. addressed to the undersigned regarding supply of information on.................

2. The information asked for is enclosed for reference. The following partly information is being enclosed :—

(*i*)

(*ii*)

The remaining information about the other aspects cannot be supplied due to following reasons :—

(*i*)

(*ii*)

(*iii*)

3. The requested information does not fall within the jurisdiction of this authorised person.

4. As per Section 19 of the Right to Information Act, 2005, you may file an appeal to the Appellate Authority within thirty days of the issue of this order.*

Yours faithfully,
Authorised person
E-mail address
Web-site
Telephone No.

*Strike out if not applicable.

FORM-F

Appeal under Section 19 of the Right to Information Act, 2005

[Rule 5(1]

I.D. No.

(For official use)

To

Appellate Authority
Address:

1. Name of the Applicant

2. Address

3. Particulars of the authorised person

(a) Name

(b) Address

4. Date of submission of application in Form A

5. Date on which 30 days from submission of Form A is over

6. Reasons for appeal

(a) No response received in Form B, or C within thirty days of submission of Form-A (5)(1)(a),.

(b) Aggrieved by the response received within prescribed period [5)(1)(b)] (Copy of the reply receipt be attached).

(c) Grounds for appeal

7. Last date for filling the appeal. [See Rule 5(3)]

8. Particulars of Information—

(i) Information requested
(ii) Subject
(iii) Period

9. A fee of Rs. 50/- for appeal has been deposited with the authority vide Receipt No.—————dated—————

Place
Date

Signature of Appelant E-mail Address, if any-Telephone No.
(Office)
(Residence)
Acknowledgement.

I.D. No. dated.

Received an Appeal application from Shri/Ms.

____

resident of____________________under Section 19 of the Right to information Act, 2005.

Signature of Receipt Clerk, Appellate Authority Telephone No.
E-mail Address Web-site

HIGH COURT OF JUDICATURE
AT PATNA-800001.
DATE : OCTOBER......2005.

REGISTRAR GENERAL
(Infrastructure and I.T.)

No. /05

Copy forwarded with compliments to:—

1. The Secretary to the Government of Bihar, Law (Judicial) Department, Old Secretariat, Patna.
2. The Advocate General, High Court of Judicature at Patna.
3. Government Pleader, High Court of Judicature at Patna.
4. The President, Bar Association.
5. The President, Advocate Association.
6. The President, Lawyers Association.
7. The Secretary, Bihar State Bar Council, Patna.
8. All the District & Session Judge, Bihar.
9. Principal Judge Family Courts.
10. Labour Court.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT
PATNA-800001.

Sd/-ILLEGIBLE,
Registrar General
(Infrastructure and I.T.)

Date : October......2005.

No.......................2005

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under Section 5(1) and (2) of the Right to Information Act, 2005, the Honourable the Chief Justice has been pleased to designate the following officials as the Public Information Officers, Assistant Public Information Officers and Appellate Authorities, as required under Section 19 of the Right to Information Act, 2005 :—

Public Authority	Appellate Authority.	Public Information Officer.	Assistant Public Information Office.
High Court of Judicature at Patna. ..	Registrar (Administration).	Joint Registrar(J)	Assistant Registrar(J)
District Court (Civil,	District Judge ..	Sub-Judge I ..	Judge Incharge
District Court (Criminal), ..	Sessions Judge ..	C.J.M. ..	Judge Incharge
Family Court ..	P.O., Family Court	Registrar Civil Court. ..	Bench Clerk
Juvenile Court ..	District Judge, Appellate Court. ..	Principal Member, Juvenile Court.	Bench Clerk
Labour Court ..	President, Industrial Court ..	Senior Judge, Labour Court/ Judge, Labour Court. ..	Registrar/Clerk
Industrial Courts ..	President, Industrial Court.	Member, Industrial Court.	Registrar, Civil Court.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT
PATNA-8 0001
Date : October......2005.

MADHUSUDAN SINGH,
Registrar General.

No................./2005

Copy for information to:—

1. The Secretary to the Government of Bihar, Law (Judicial) Department. Old Secretariat, Patna.
2. The Registrar (Administration)/Joint Registrar (J)/Deputy Registrar (J)/Assistant Registrar (j), Patna High Court, Patna.
3. The Principal Judge, Family Court.
4. All the District & Session Judge, Bihar.
5. The President, Industrial Court.
6. Labour Court.
7.

By Order of the Hon'ble the Chief Justice.

High Court of Judicature at Patna-800001.
Date : October.........2005.

Sd/-Illegible,
Registrar General.

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण), 562—सा०ऑ०—571-100—